"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 फरवरी 2006—माघ 27, शक 1927

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-8-21/2005/10-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 में प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत राज्य में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन निम्नानुसार करती है :—

(1)	माननीय वन मंत्रीजी	-	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव/सचिव, वन	-	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विभाग	-	सदस्य
(4)	संचालक, पशुपालन एवं पशु चिकि.	-	सदस्य
(5)	संचालक, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	-	सदस्य
(6)	डॉ. जी. एस. बदेशा, संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी, मंत्रालय परिसर, रायपुर.	-	सदस्य
(7)	प्रो. डी. के. मरोठिया, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्राकृतिक संसाधन एवं अर्थशास्त्र विभाग, इं.गा.कृ.वि.वि., रायपुर.	-	सदस्य
(8)	डॉ. व्ही. के. शुक्ला, वैज्ञानिक, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इलाहाबाद.	-	सदस्य

(9)	डॉ. कैलाश चन्द्रा, प्रभारी अधिकारी, जूलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, जबलपुर.	-	सदस्य
(10)	डॉ. ए. के. पति, प्रो. बायो साईंस विभाग, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर.	-	सदस्य
(11)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव.	-	सदस्य सचिव

2. छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का प्रधान कार्यालय अरण्य भवन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय परिसर में रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.